न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 473 / 2016

निर्णय दिनांक:– 21 / 06 / 2017

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

सुवालाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी चान्दमकला तहसील फागी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. मिश्रीलाल पुत्र मोडुलाल जाति भांड जाति निवासी चान्दमाकलां तहसील फागी जिला जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र मोडुलाल जाति भांड जाति निवासी चान्दमाकलां तहसील फागी जिला जयपुर।
3. श्योजीराम पुत्र शिवाल जाति बैरवा निवासी चान्दमाकलां तहसील फागी जिला जयपुर।
4. नानगराम पुत्र श्री घासीराम जाति गुर्जर निवासी चान्दमाकलां तहसील फागी जिला जयपुर।
5. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील वादी

–:: वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 21.06.2017

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 538 के आराजी ख0न0 1317 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 1318 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा भूमि वाके ग्राम चान्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है। वादी की उक्त आराजी पर आज तक किसी अन्य व्यक्ति का सीर साझा या कब्जा नही रहा है। पूर्व में वादी के पिता काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में वादी काबिज काश्त कर रहा है। वादी सीधा सादा व्यक्ति है। लेकिन प्रतिवादीगण काफी झगडालू व्यक्ति है तथा आये दिन लडाई झगडा करते रहते है तथा जबरन कब्जा करने की धमकीया देते है

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार...............2

वादी को अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त करने से लाठी बल पर जबरन रोकते है तथा प्रतिवादीगण जबरन वादी की खातेदारी भूमि में उतरी पश्चिमी कोने पर नीव खोदकर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण अभी हाल ही में दिनांक 05.05.2016 को वादी कि भूमि के उतरी पश्चिमी कौने पर जबरन नीव खोदकर निर्माण कार्य करने पर आमदा है। तथा वादी को धमकी देते है कि हम अनुसूचित जाति के लोग है जिससे तुम्हे छुआ छुत के झूठे मुकदमा लगाकर जेल भिजवा देगे। वादी गरीब व शान्ति प्रिय काश्तकार व्यक्ति है तथा प्रतिवदीगण बाहूबल व राजनैतिक प्रभाव से अपने नापाक इरादो में सफल हो गये जो वादी को नातलाफी नुकसान होगा। वादी का वाद कारण दिनांक 05.05.2016 को जब प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि के उतरी पश्चिमी सीमा पर वादी की खातेदारी भूमि में जबरन नीव खोदकर निर्माण करने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ है। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान का निवास स्थान श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से उक्त वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई।पत्रावली कैम्प कोर्ट चान्दमाकला में पेश हुई। पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया।

बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये वादी का वाद प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने पर हम वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 538 के आराजी ख0न0 1317 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 1318 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा भूमि वाके ग्राम चान्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी का सीमाज्ञान करने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि किसी के हिस्से में हस्तक्षेप नही करे। निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2017 को कैम्प कोर्ट चान्दमाकला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

सुवालाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी चान्दमाकलां तहसील फागी जिला जयपुर।

बनाम

मिश्रीलाल पुत्र श्री मोडूलाल जाति भांड निवासी चान्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर वगै0।

::– वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 473/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 538 के आराजी ख0न0 1317 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 1318 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा भूमि वाके ग्राम चान्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी का सीमाज्ञान करने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि किसी के हिस्से में हस्तक्षेप नही करे।

निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह...फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/06/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.....................

ओहदा.....................

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर	–Nil	
फीस कमीश्नर	–Nil		बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर